न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2194–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–11–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, प्रकरण कमांक 231/अपील/2008–09

.....

राजा भैया आत्मज स्व0श्री अजमेर सिंह रघुवंशी
द्वारा संरक्षिका मॉ श्रीमती आशा बाई पत्नि स्व0श्री अजमेरसिंह रघुवंशी,
निवासी ग्राम बेरूआ तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0
द्वारा मुख्तारआम निरपतसिंह आत्मज मूरतसिंह
निवासी ग्राम धनुआ तहसील सिलवानी
जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

शांतिबाई पुत्री खुशाल सिंह
निवासी ग्राम देरूआ तहसील सिलवानी
जिला रायसेन म0प्र0 हाल निवासी भोपाल
द्वारा मुख्तार खास देवेन्द्र रघुवंशी
निवासी म.नं.202 सी सेक्टर आयुष्मान अस्पताल के सामने,
शाहपुरा भोपाल म0प्र0

..... अनावेदिका

– – –

श्री डी0एस0चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदिका

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/3/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बेरूआ स्थित भूमि सर्वे कमांक 115/1 व 131/1 कुल रकवा 10 एकड़ अनावेदिका के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी । तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 3 पर दिनांक 9–1–2006 को नामान्तरण आदेश पारित कर उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमियों से अनावेदिका का नाम कम कर आवेदक का नाम दर्ज किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–01–2009 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–11–2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिसंगत आदेश पारित किया जाये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करने हेतु 50/– रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति दी गई है और अनावेदिका द्वारा स्वयं तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये हैं, अतः तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी पर अनावेदिका का नाम कम कर आवेदक का नाम दर्ज करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

(2) अनावेदिका द्वारा ऋण पुस्तिका एवं पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर जो हस्ताक्षर किये गये हैं वही सहमति स्वरूप नामान्तरण पंजी पर भी किये गये हैं, जिनकी सूक्षमता से जॉच कर तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, इस ओर अपर आयुक्त द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

(3) अनावेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण किये जाने हेतु स्वेच्छा से सहमति पत्र दिया गया है, परन्तु बाद में वदनियति आ जाने से अपने ही हस्ताक्षर को कूटरचित बताते हुये आवेदक के खिलाफ कार्यवाही की गई है और अपर आयुक्त द्वारा बिना जॉच कराये नामान्तरण पंजी पर अनावेदिका के किये गये हस्ताक्षर को फर्जी बताते हुये तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये हैं, अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

4/ तर्क के दौरान अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक एवं उसके पिता द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है और प्रश्नाधीन भूमियॉ अनावेदिका को उसके पिता से प्राप्त हुई हैं क्योंकि अनावेदिका द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु व आवेदक के पिता अजमेर सिंह को कोली बटाई पर देती थी । नामान्तरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हे कि नामान्तरण पंजी पर अनावेदिका द्वारा स्वेच्छा से प्रश्नाधीन भूमिया पर आवेदक का नाम दर्ज करने हेतु सहमति दी गई हे और सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी किये गये है, साथ में अन्य साक्षियों द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये हैं । ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 2 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्यायहित में विलम्ब क्षमा किया जाकर अपील को समय सीमा में मान्य करते हुये गुणदोष पर उभयपक्ष को सुनकर विधिवत् आदेश पारित करत हुये अपील निरस्त की गई है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में जो निष्कर्ष निकाला गया है वह अपने स्थान पर उचित

है क्योंकि अनावेदिका द्वारा उनके समक्ष केवल इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है कि नामान्तरण पंजी पर उसके हस्ताक्षर नहीं है जबकि अनावेदिका की ओर से पक्ष समर्थन में प्रस्तुत पॉवर ऑफ अटॉर्नी एवं ऋण पुस्तिका में जो हस्ताक्षर किये गये हैं वह भी भिन्न–भिन्न है, अर्थात् नामान्तरण पंजी पॉवर ऑफ अटॉर्नी व ऋण पुस्तिका में शांतिबाई के भिन्न भिन्न हस्ताक्षर होने से इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि नामान्तरण पंजी पर उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । इसके अतिरिक्त अनावेदिका, आवेदक की बुआ है और उसे प्रश्नाधीन भूमियॉ उसके पिता से प्राप्त हुई है, ऐसी स्थिति में भी इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अनावेदिका द्वारा पूर्व में प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक के पक्ष में नामान्तरण किये जाने संबंधी सहमति दी गई है और बाद में 2 वर्ष पश्चात् लोगों के बहकावे में आकर बाद की सोच के कारण अपील पेश की गई है । इस प्रकार नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा मुख्यतः इस आधार पर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये हैं कि संशोधन पंजी पर नामान्तरण एवं बटवारा नहीं किया जा सकता है, जबकि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जाकर अनावेदिका द्वारा सहमति दिये जाने के आधार पर अविवादित नामान्तरण आदेश पारित किया गया है और संहिता की धारा 109 एवं 110 के अन्तर्गत नामान्तरण पंजी पर अविवादित नामान्तरण आदेश पारित किये जाने का प्रावधान है । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकले जाकर आदेश पारित किया गया है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुरूप समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा भी अवैधानिकता की गई है, इस कारण भी उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–2011 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–01–2009 यथावत् रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर